संख्या– 4571/नौ–5–2019–166सा/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 30 अक्टूबर, 2019**

विषय–उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य में 652 नगर निकाय हैं, जिनकी अनुमानित आबादी 4.9 करोड (वर्ष 2018 के अनुसार) है। राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों की स्वच्छता में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु 3298.84 एम0एल0डी0 की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) प्रदेश में उपलब्ध हैं एवं इसके अतिरिक्त 1281.33 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 का निर्माण विभिन्न चरणों में है। पिछले 3 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत निर्मित लगभग 9 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई0एच0एच0एल0) का सेप्टेज प्रबन्धन भी अत्यन्त आवश्यक हैं। राज्य में 72 लाख ऑन–साइट स्वच्छता प्रणालियों पर आधारित शौचालय हैं, (जिसमें 610 नगर निकाय पूर्णतः सेप्टिक टैंक पर निर्भर हैं), जो लगभग 5558 एम0एल0डी0 सेप्टेज उत्पन्न करते हैं। प्रदेश के जिन 48 नगरों में सीवर लाइन अथवा एस0टी0पी0 की सुविधा उपलब्ध है अथवा उपलब्ध करायी जा रही है, उन नगरों की बडी आबादी द्वारा भी सीवर नेटवर्क के अधूरा होने के कारण सेप्टिक टैंक युक्त शौचालय का ही उपयोग किया जाता है। नागरिको द्वारा अपने आवासीय परिसर में निर्मित सेप्टिक टैंक की सफाई सामान्यतः उसके भर जाने पर कराई जाती है। प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल में सेप्टिक टैंक खाली न करने से उक्त सेप्टिक टैंकों से निकलने वाला जल अत्यधिक दूषित होता है और छोटी नाली, बड़े नालों के माध्यम से अंततः नदी में मिलता है और नदी को भी प्रदूषित करता है। ऐसे सेप्टिक टैंको की सफाई अप्रशिक्षित मजदूरों से कराई जाती है, जिससें प्रायः दुर्घटनायें भी होती रहती है। वर्तमान में प्राईवेट लोगों द्वारा सेप्टिक टैंक खाली कर नाले, तालाब, खेत अथवा नदियों में डाल दिया जाता है। इन अनुपचारित सेप्टेज के कारण पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसका समाधान किये जाने हेतु गम्भीर प्रयास की आवश्यकता है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति के माध्यम से राज्य में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरुप एक सार्थक पंच–वर्षीय सेप्टेज प्रबन्धन नीति (2019–2023) तैयार की गयी है।

सेप्टेज प्रबन्धन नीति का लक्ष्य वर्ष 2023 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य शहरों में सेप्टेज उपचार प्रणालियों के निर्माण और संचालन हेतु स्थानीय क्षमता को बढ़ाना और सिस्टम के प्रभावी और टिकाऊ होने में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन और सहायक वातावरण को बढ़ावा देना है।

2– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति–2008 शहरों को स्वस्थ एवं रहने योग्य बनाये जाने के लिये विभिन्न आवश्यक आयामो को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2017 की राष्ट्रीय सेप्टेज प्रबन्धन नीति व स्वच्छ भारत मिशन के दिशा–निर्देश (ओ0डी0एफ0 रेटिंग के माध्यम से) एवं शहरी

विकास मंत्रालय के द्वारा सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई के लिए जारी स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (एस0ओ0पी0) के माध्यम से इस कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0) अधिनियम– 2013 एवं भारत सरकार के सफाई कर्मचारी नियोजन और पुर्नवास अधिनियम (प्रतिशेध) द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को तकनीकी, व्यवसायिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राज्य ने ओ0डी0एफ0 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यह कदम ओ0डी0एफ0++ की प्राप्ति के लिए अहम है।

3– उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति के मुख्यतः तीन आयाम हैं, जो इस प्रकार हैं:–

(i)– वर्ष 2019 के अन्त तक, सेप्टेज प्रबन्धन लक्ष्यों को साकार करने की सभी प्रारंभिक गतिविधियां पूर्ण कर ली जायें।

(ii)– वर्ष 2021 के अन्त तक, सेप्टेज प्रबन्धन को सभी नगरीय निकायों की मुख्य धारा में सम्मिलित कर लिया जाए एवं समस्त नगर निगम और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में एक सार्थक स्तर तक सेप्टेज प्रबन्धन के कार्य अपना लिए जाए।

(iii)– वर्ष 2023 के अन्त तक सभी निकायों में सेप्टेज प्रबन्धन समाधानों को पूर्ण रुप से लागू किया जाए।

4– सेप्टेज सेवाओं को वित्तीय स्थिरता

सेप्टेज सेवाओं को वित्तीय स्थिरता प्रदान किये जाने हेतु सीवर टैक्स की तर्ज पर अलग लेखांकन मद के साथ सेप्टेज फीस विकसित किया जायेगा। वर्तमान शुल्क प्रणाली के तहत, आवासीय घरों के लिए 3–4 प्रतिशत ए0आर0वी0 पर सीवर कर के रूप में शुल्क लिया जा रहा है। उपचार लागत समान स्तर पर होने की स्थिति में एक समान राशि, सेप्टेज फीस के रूप में ली जाएगी। सेप्टेज फीस उन सम्पत्तियों से लिया जाना प्रस्तावित है, जो सीवर नेटवर्क पर नहीं है तथा सीवर टैंक्स नही दे रहे है। एक परिवार से या तो सेप्टेज फीस अथवा सीवर टैक्स लिया जायेगा। सेप्टेज फीस की राशी प्रत्येक वर्ष समान किस्तों में सम्पति कर के साथ वसूल की जायेगीा।

5– सेप्टेज प्रबन्धन नीति का मुख्य उद्देश्य

सेप्टेज प्रबन्धन नीति का मुख्य उद्देश्य समस्त नगर निकायों में व्यापक रूप से सार्वजनिक एंव निजी क्षेत्र की सहभागिता से सेक्टर नियामक के तहत सेप्टेज प्रबन्धन सेवाओं को सतत् एंव सुस्थिरता प्रदान करते हुऐ, अपने नागरिकों को प्रदूषण एंव स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम से रहित पर्यावरण प्रदान किया जाना है। प्रत्येक सेप्टीक टैंक को 05 वर्ष में एक बार खाली कर सेप्टेज के ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही की जायेगी।

यह नीति नगर के गरीबों तथा निरंतर ऑन–साइट स्वच्छता सेवाओं की जरूरतों के लिए एक लक्षित जवाबदेही प्रदान करता है। प्रतिवर्ष 5558 एम0एल0डी0 अपशिष्ट जल प्रबन्धन और 13.7 एम0एल0डी0 सेप्टेज के उपचार से सभी निकायों के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण भार कम होगा।

6– अतएव उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति–2008 के अनुसार शहरों को स्वच्छ एवं रहने योग्य बनाने की प्रतिबद्धता तथा वर्ष 2017 की राष्ट्रीय सेप्टेज प्रबन्धन नीति व ओ0डी0एफ0++ के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीवर एवं

सैप्टिक टैंक की सफाई के लिए जारी स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर में उल्लिखित प्राविधानों एवं निर्देशों के क्रम में शहर में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एक पंचवर्षीय (वर्ष 2019–2023) "उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति" एतद्द्वारा प्रख्यापित की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

संलग्नकः

उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति

भवदीय,

20.10.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7–राज्य मिशन निदेशक(अमृत/एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9–निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10–निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
11–निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
12–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
13–कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।